

19/05/2023

पत्रावली पैग हुई। जर्नी मय वकील उप० /  
जर्नी का डावा अर्चना - पत्रा के आधार  
पर विही किया जा चुका है। अन  
वस अर्चना - पत्रा 212 RTA का चीई  
आचित नही रह जाता है। अतः अर्चना-पत्रा  
212 RTA इली स्तर पर खारिज / विही  
किया जाता है।

पत्रावली नमल शमार होकर  
नंबर के क्रम की आधार खारिज  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
नवदेई भरतपुर (राज.)

मालती देवी  
Identified  
19/5/2023

या दावा  
या इस आश  
यह दावा  
वित्त को न  
त्या बंटवाये  
? -  
त्या राज्य  
त्या दावे  
त्या राज  
क्षिकार  
त्या व  
त्या 3  
त्या  
रा  
त्या